



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 235]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 13, 2012/माघ 24, 1933

No. 235]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 13, 2012/MAGHA 24, 1933

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2012

का.आ. 265(अ).—संविधान (सत्तानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2011 की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा फरवरी, 2012 की 15वीं तारीख को उस तारीख के रूप में निर्धारित करती है जब उक्त अधिनियम लागू होगा।

[फा. सं. एल-11012/1/2004-एलएंडएम (भाग-VI)]

राजेन्द्र कुमार तिवारी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th February, 2012

S.O. 265(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 1 of the Constitution (Ninety Seventh Amendment) Act, 2011, the Central Government hereby appoints the 15th day of February, 2012 as the date on which said Act shall come into force.

[F. No. L-11012/1/2004-I.&M (Vol. VI)]

RAJENDRA KUMAR TIWARI, Jt. Secy.